

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
अधिसूचना सं. 10/2017- राज्य कर (दर)

नया रायपुर, दिनांक : 28.06.2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(78) - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो पुराने माल का क्रय और विक्रय करता है और जो छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम (5) के अधीन यथा अवधारित पुराने माल की ऐसी जावक पूर्ति के मूल्य पर एकीकृत कर का संदाय करता है, जो कि ऐसे पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पुराने माल की अंतरराज्यिक पूर्तियां प्राप्त करता है, उक्त छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)


विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 28.06.2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(78), दिनांक 28.06.2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur


Notification No.10/2017- State Tax (Rate)

Naya Raipur, dated : 28.06.2017

No. F-10-43 /2017/CT/V (78) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of second hand goods received by a registered person, dealing in buying and selling of second hand goods and who pays the state tax on the value of outward supply of such second hand goods as determined under sub-rule (5) of rule 32 of the Chhattisgarh Goods and Services tax Rules, 2017, from any supplier, who is not registered, from the whole of the state tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Chhattisgarh Good and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,



(A.P. Tripathi)
Special Secretary